आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
9.9.22	**आदेश** प्रस्तुत पी०ए० वाद संख्या–17/2019–20 आवेदक–मो० समीउद्दीन अंसारी, पिता–स्व० सिद्दीक मियां. उर्फ अंसारी, साकिन–कानो, अंचल–मारगोमुण्डा, जिला–देवघर के द्वारा वंशावली के आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–कानो, थाना नं०–539 का प्रधान नियुक्त करने हेतु समर्पित आवेदन एवं पी०ए० वाद संख्या–31/2020–21 आवेदक–मो० मिराज, पिता–अलाउद्दीन अंसारी, साकिन–कानो, अंचल–मारगोमुण्डा, जिला–देवघर के द्वारा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–5 के तहत् तथा पी०ए० वाद संख्या–16/2020–21 आवेदक–कासीम मियां, पिता–स्व० कलाम मियां, साकिन–कानो, अंचल–मारगोमुण्डा, जिला–देवघर के द्वारा समर्पित आवेदन को सम्बद्ध कर अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा से ज्ञापांक–11/डी०बी० दिनांक–02.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक–50/रा०, दिनांक–21.01.2020 के द्वारा प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कानो, थाना नं०–539 एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम प्रधान स्व० सिद्दीक मियां उर्फ अंसारी थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आवेदक–समीउद्दीन असांरी अंतिम प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र है। मौजा का वार्षिक लगान–416/–(चार सौ रूपया) अलावे सेस है। अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा द्वारा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् वंशानुगत के आधार पर आवेदक–मो० समीउद्दीन अंसारी को मौजा–कानो का 16 (सोलह) आना का प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु प्रतिवेदन अग्रसारित किये है। आवेदक कासीम मियां, पिता–स्व० कलाम मियां, साकिन–कानो, अंचल–मारगोमुण्डा ने लिखित आवेदन देकर अपना प्रधान नियुक्ति वाद सं०–16/2020–21 वापस लिया है। अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवदेन के आधार पर आवेदक–मो० मिराज, पिता–अलाउद्दीन अंसारी, साकिन–कानो, अंचल–मारगोमुण्डा अंतिम प्रधान के वंशज में नही आते है इसलिए इनका प्रधान नियुक्ति आवेदन खारिज किया जाता है। अतः अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक–मो० समीउद्दीन अंसारी, पिता–स्व० सिद्दीक मियां उर्फ अंसारी, साकिन–कानो, अंचल–मारगोमुण्डा, जिला–देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् वंशानुगत के आधार पर मौजा–कानो, थाना नं०–539 का 16 (सोलह) आना का प्रधान नियुक्त किया जाता है। तद्नुसार आवेदक कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा करें, तत्पश्चात् नियुक्त प्रधान को पट्टा निर्गत करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा को भेजें। **लेखापित एवं शुद्धित** 9/9/22 — अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। 9/9/22 — अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	ज्ञापांक 164 डी०बी० दिनांक 13.9.22

Digitally signed by DINESH KUMAR YADAV
Date: 2022.10.14 11:53:28 +05:30
Location: 192.168.1.206